संख्या-303/2026/39-4-2026/001-02-10-16-2006TC

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,
लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः मार्च, 2026**

विषय- उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय के संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-231/2026/39-4-2026/001-10-16-2006टी0सी0 दिनांक 30.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु रुपया 64,80,000/- (चौसठ लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपया 63,00,000/- (रुपया तिरसठ लाख) की धनराशि कतिपय शर्तों के अधीन अवमुक्त की गयी थी। इस संबंध में अपर निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-184/2021 दिनांक 23.03.2026 एवं वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4/बी-260/2024 दिनांक 23.03.2026 द्वारा अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-82 के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत 0305-सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी के लिए मानक मद-60-भूमि क्रय में उपलब्ध बचत की धनराशि में से आवश्यकतानुसार लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत 0306-सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या के लिए मानक मद-60-भूमि क्रय में कुल रु0 1,80,000/-(रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुए अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार संबंधित धनराशि का पुनर्विनियोग करते हुए उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर, अयोध्या के कार्यालय निर्माण हेतु भूमि को क्रय किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रुपये 1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

Scanned with CamScanner

नियम एवं शर्तें

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित की जा रही धनराशि से संबंधित बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(5) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(6) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे।

(8) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय पृथक कार्य हेतु नहीं किया जाएगा।

(10) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुसंगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(11) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, अयोध्या के डिपोजिट खाते में रखी जाएगी। निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही वास्तविक आवश्यकता पर धनराशि राजकोष से आहरित की जाएगी।

(12) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस लेखाशीर्ष/मानक मद से पुनर्विनियोग की धनराशि की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है उस लेखाशीर्ष/मानक मद में भविष्य में धनराशि की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(15) शासनादेश संख्या-231/2026/39-4-2026/001-10-16-2006टी0सी0 दिनांक 30.03.2026 की शर्तों का अनुपालन सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 4059010510306 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
Raj Kumar Singh
Date: 31-03-2026
16:50:56

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, अयोध्या।
3. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर, अयोध्या।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
8. आदेश-पुस्तिका।

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A039-20252026-01-10-16-2006TC

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
082	4059010510305 (सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी)	60 (भूमि क्रय)	9,63,16,000 रुपये नौ करोड़ तिरेसठ लाख सोलह हजार मात्र	9,63,16,000 रुपये नौ करोड़ तिरेसठ लाख सोलह हजार मात्र	1,80,000 रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र	1,80,000 रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र	9,61,36,000 रुपये नौ करोड़ इकसठ लाख छत्तीस हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 1,80,000	₹ 1,80,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

Scanned with CamScanner

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
082	4059010510306 (सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या)	60 (भूमि क्रय)	63,00,000 रुपये तिरेसठ लाख मात्र	1,80,000 रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र	1,80,000 रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र	64,80,000 रुपये चौंसठ लाख अस्सी हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 1,80,000	₹ 1,80,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(3) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

संख्या:RE-budget-1-797-E-12-760-X-2025-26-दिनांक: 31-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

राज कुमार सिंह
अनु सचिव।

(अरुण कुमार)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या : 301/39-4-2026-10(16)/2006T.C. दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, अयोध्या।
3. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या सेक्टर अयोध्या।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. आदेश पुस्तिका।

चन्दनसिंह
31.03.2026

आज्ञा से

राज कुमार सिंह
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner